प्रेषक

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद।

प्रेषित,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(विज्ञापन प्रभाग), उत्तर प्रदेश,
सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।

पत्रांक : /सिनिखगा/निविदा, दिनांक : /08/2020

विषय : निविदा सूचना संख्या–01/ई.ई./2020–21 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निविदा सूचना संख्या–01/ई.ई./2020–21 की छः प्रतियाँ में सी०डी० सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित हैं कि इन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पढ़े जाने वाले/प्रकाशित होने वाले किन्हीं दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में तीन दिनों के अन्तराल पर एक–एक बार प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, ग़ाज़ियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निविदा सूचना संख्या–01/ई०ई०/2020–21 की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, कैनाल कॉलोनी, ओखला, नई दिल्ली–110025.
3. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
5. ज़िलाधिकारी, गाज़ियाबाद/गौतमबुद्धनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड बागपत, बड़ौत को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया दिनांक 02.09.2020 को अपरान्ह 02.00 बजे निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
7. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
8. नोटिस बोर्ड।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–01/ई.ई./2020–21

महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाइन निविदाएं (https://etender.up.nic.in) के माध्यम से आथराइज्ड रजिस्टर्ड फर्म से दिनांक 24.08.2020 से दिनांक 02.09.2020 तक दोपहर 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्री–क्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आथराइज्ड रजिस्टर्ड फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित गठित समिति सदस्यों द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्मों को निविदा प्रपत्र एवं जी.एस.टी. का डिमान्ड ड्राफ्ट अलग–अलग रु. 800.00 एवं रु. 144.00 मात्र का अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को देय हो, डिमान्ड ड्राफ्ट 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा करानी होगी अन्यथा बिड को असफल माना जायेगा। टेक्नीकल बिड में क्वालीफाइड पाये गये ठेकेदारों की फाईनेन्शियल बिड दिनांक 02.09.2020 को पूर्वान्ह 04.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। उक्त तिथि को कार्यालय बन्द होने अथवा छुटटी होने की दशा में प्री–क्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड उसी क्रम एवं समयानुसार अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रुपये)	धरोहर राषि (लाख रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र +स्टेशनरी का मूल्य एवं जी.एस. टी.	सम्बन्धित अभियन्ता का पता	ठेकेदार की वर्गीकृत श्रेणी
1.	जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन यमुना दोआब बन्ध के कि.मी. 8.000 के समीप पुरानी हिण्डन नदी एवं कट ऑफ चैनल के मीटिंग पाइंट के अपस्ट्रीम में स्टोन पिचिंग का कार्य।	27.40	2.74	30 दिवस	300.00 + 500.00 = 800.00 & GST = 144.00	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद	"बी" एवं उच्चतर
2.	जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन यमुना दोआब बन्ध के कि.मी. 8.000 के समीप पुरानी हिण्डन नदी एवं कट ऑफ चैनल के मीटिंग पाइंट के डाऊनस्ट्रीम में स्टोन पिचिंग का कार्य।	31.16	3.12	30 दिवस	300.00 + 500.00 = 800.00 & GST = 144.00	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद	"बी" एवं उच्चतर

निविदा से सम्बन्धित नियम/शर्तें तथा विवरण (https://etender.up.nic.in) पर उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

नियम व शर्ते :–

1. निविदा की विस्तृत शर्तें ऑन लाईन निविदा–प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
2. ज्वाइन्ट वेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेंगी।
3. सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
4. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बतायें अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. समस्त इच्छुक निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व समस्त विभागीय नियमों व शर्तों का संज्ञान लेते हुए कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्यस्थिति एवं परिस्थिति से भलीभांति भिज्ञ हो लें।
6. निविदादाता को ऑन लाईन निविदा में निम्नलिखित प्रमाण–पत्र तथा अन्य डॉक्यूमेन्ट्स की स्कैण्ड (Scanned) प्रति अपलोड करनी होगी। निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की हार्ड कॉपी के साथ इन सभी अपलोड किये गये प्रपत्रों, डॉक्यूमेन्टस आदि को मूलरूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराने होंगे, अन्यथा उनकी निविदा को Unresponsive मानते हुए शासनादेश सं.–52/1439/17–27–सिं.–3–07 विविध/17 दिनांक 09.10.2017 के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
   - i. Cost of Bid document (non refundable) : To be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking only. All concernted please note that bidding process will not move onward if the bid document's cost (Tender Fee) is not paid through e-tender portal by Internet Banking.
   - ii. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   - iii. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1)।
   - iv. हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)।
   - v. स्व–घोषणा पत्र (IDT-3) जोकि रु. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित हो।
   - vi. श्रम विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   - vii. विगत 3 वित्तीय वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र, जिसमें न्यूनतम किसी एक वर्ष में एकल अनुबन्ध के रूप में समान प्रकृति, 50% लागत या उच्च लागत के शासकीय कार्यों के सम्पादन का अनुभव का प्रमाण–पत्र, जोकि न्यूनतम अधिशासी अभियन्ता स्तर से विधिवत् निर्गत किया गया हो।
   - viii. Bid Security (EMD) : Bids must be accompanied with security of the amount specified for work, Bid security will be deposited in the account of U.P. e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that bidding process will not move onward if the bid security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet Banking. No other form of bid security will be accepted.
   - ix. कोषागार से सत्यापित स्टाम्प प्रपत्र ही मान्य होंगे।
   - x. निविदादाता को G.S.T. पंजीकृत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।
   - xi. निविदादाता द्वारा रु. 100.00 का नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र के रूप में यह प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि वह मशीनों द्वारा कार्य कराये जाने में सक्षम है एवं वह अपने खुद की अथवा किराये पर ली गयी मशीनों द्वारा कार्य ससमय कराएगा।
   - xii. निविदादाता को श्रमिक कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र मूलरूप में प्रमाणित छायाप्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाता को निविदा प्रपत्र भली–भांति पढ़कर प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने होंगें। हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य की जा सकती है।
8. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य कारण शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व न होगा।
9. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह परीक्षण किया जाएगा कि निविदादाता द्वारा IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि और अनुभव प्रमाण–पत्र ठीक है या नहीं। इसमें किसी

प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा को Unresponsive माना जाएगा।

10. निविदादाता को रु. 100.00 के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि उसके द्वारा निविदत्त दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। 90 दिवस से पूर्व निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

11. निविदा खोले जाने के समय केवल वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही कार्यालय परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

12. Technical evaluation will be done by Tender committee, Comparative chart would be prepared and award of contract will be available as per financial sanction for the work.

13. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेशांक–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08टी.सी.–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम दरें (Below rate) प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम दरें (Below Rate) प्राप्त होने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफॉर्मेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जाएगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

14. वेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में इस खण्ड के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से ड्राईंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।

15. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा किसी भी मात्रा तक घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. प्रस्तावित कार्यस्थल पर Engineer-in-Charge के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

17. उपरांकित सभी कार्य सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित करने होंगे।

18. बीजक से नियमानुसार जी.एस.टी., आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रॉयल्टी, लेबर सेस एवं अन्य प्रचलित टैक्स की कटौती की जाएगी।

19. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

20. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो सम्बन्धित निविदादाता की दरों के आधार पर कार्य की आंकलित लागत के प्रथम न्यूनतम होने की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

21. चरित्र–प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र व स्वघोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

22. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा–प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

23. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा–प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

24. निविदादाता, जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/मण्डल में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र भी दिया जाएगा कि, जिसमें उसके उन सम्बन्धियों के नाम तथा पदनाम का उल्लेख होगा, जोकि कार्यदायी खण्ड एवं् उससे सम्बन्धित मण्डल में कार्यरत हो।

25. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि नियम व शर्तों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जाएगा।

26. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिये कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रहीं हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगे। ऐसे मांगे गए दर विश्लेषण को दो दिवस के अन्दर देना होगा। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है तो निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष (Merit) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।

27. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी, जोकि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवा–निवृत्ति के उपरान्त दो वर्ष पश्चात् तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

28. कार्यस्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। सभी संरचनाओं की सुरक्षा हेतु Engineer-in-charge का निर्देश मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

29. अनुबन्ध गठन की कार्यवाही धन की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। इस सम्बन्ध में निविदादाता का किसी तरह का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

30. गुणवत्ता हेतु टेस्टिंग के चार्ज ठेकेदार के बीजक से वसूले जायेंगे।

31. मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली या अन्य माननीय न्यायालय के विभिन्न नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करना होगा। यदि कार्य पर स्थाई/अस्थाई रोक के आदेश दिये जाते है तो ठेकेदार का कोई क्लेम देय नही होगा।

UP-   , Dt.   Website : www.upgov.nic.in

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड गजियाबाद